न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 18 / 2018

जसवंत सिंह उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पिदावली, ग्राम पंचायत खोहरा, तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी (प्रथम) भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 17.01.2018 प्रकरण सं0 71 / 2017

निर्णय **दिनांक 19.11.2019**

अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी (प्रथम) भरतपुर दि0 17.01.2018 इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 17.01.2018 विधि विरुद्ध तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना एकपक्षीय तरीके से प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। तहत न्यायालय का उक्त आदेश दि0 17.01.2018 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 8(2) की स्पष्ट अवहेलना के तहत पारित किया गया है, जो काबिल खारिज के है। तहत न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह लिखते हुए कि अपीलाण्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थी डीलर पर निर्धारित आरोप स्थापित रहते हैं। उसके लाईसेंस को निरस्त कर जो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है, सरासर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरुद्ध व ई.सी. एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। किसी भी व्यक्ति को उसको अपने बचाव करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। बिना उसको अपना पक्ष व साक्ष्य रखने का कोई मौका दिए उसके विरुद्ध निर्णय पारित कर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।

वक्त जांच मौके पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई थी और न ही उपलब्ध स्टॉक का कोई भी भौतिक सत्यापन किया गया। जबकि विधि अनुसार वक्त जांच मौके पर ही तलपट्टी बनाकर उसमें इसका इन्द्राज किया जाना चाहिए था। मौके पर अपीलाण्ट की दुकान पर गेंहू, कैरासीन व चीनी का समस्त स्टॉक नियमानुसार पूरा था। वक्त जांच किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई और न ही मौके पर किसी प्रकार की कालाबाजारी पकड़ी गई। अपीलाण्ट द्वारा पोस मशीन से 15.65 क्विंटल गेहूँ का वितरण किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा विगत कई वर्षों से राशन वितरण का कार्य नियमानुसार किया जाता रहा है व उसके समस्त रिकार्ड वितरण व स्टॉक रजिस्टर का भौतिक सत्यापन तहत न्यायालय व राज्य सरकार के नियमानुसार अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता रहा है। अगर अपीलाण्ट द्वारा उसके समस्त रिकार्ड वितरण व स्टॉक रजिस्टर का संधारण

नियमानुसार नहीं किया जाता या अन्य किसी प्रकार की अनियमितताऐं पाई गई होतीं तो अपीलाण्ट को दण्डित अवश्य किया जाता।

तहत न्यायालय ने अपने विचाराधीन आदेश में अपीलाण्ट को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 5, 11, 15 व 17सी का स्पष्ट उल्लंघन माना है, किंतु प्राधिकार पत्र के आदेश की शर्त सं0 5, 11, 15 व 17सी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा कहीं भी किसी प्रकार से इन शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है तथा तहत न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन शर्तों का उल्लंघन किस प्रकार से हुआ है। तहत पत्रावली में कोई इस प्रकार का साक्ष्य भी नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलाण्ट द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन किया है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता है जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। इस प्रकार से अपीलाण्ट के विरुद्ध पारित आदेश दि0 17.01.2018 नॉन–स्पीकिंग आदेश की श्रेणी का होने से काबिल खारिज है।

अन्त में अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना की गई है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दि0 17.01.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर बहस सुनी गई। पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलाण्ट व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई, किंतु उपस्थित नहीं आए। रेस्पोडेण्ट पेरोकार रसद ई.ओ. की एकतरफा बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि डीलर द्वारा वक्त जांच स्टॉक संबंधी रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यालय रिकार्ड व वक्त जांच उपलब्ध स्टॉक के आधार पर डीलर के पास 18.18 क्विंटल गेहूँ वांछित से कम पाया गया। वक्त जांच गेहूँ का स्टॉक शून्य होने पर भी माह जुलाई 2017 के अंत तक 15.65 क्विंटल गेहूँ का वितरण पोस पर किया गया। यह गेहूँ उपलब्ध नहीं था तो बाद में किस प्रकार वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त 1 क्विंटल चीनी मौके पर उपलब्ध पाई गई। उसका स्टॉक संबंधी रिकार्ड भी जांच हेतु डीलर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर उपभोक्ताओं ने प्रति राशन कार्ड 2 लीटर कैरोसीन देना बताया, किंतु राशन कार्डों में मात्रा का इन्द्राज नहीं मिला।

पैरोकार रसद द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि कैरोसीन के साथ गेहूँ का झूठा वितरण डीलर द्वारा किया गया। कार्ड सं. 200000297811 में 180 कि0ग्रा0, कार्ड सं. 007502300358 में 60 कि0ग्रा0 व कार्ड सं. 007502300347 में 45 कि0ग्रा0 कुल 285 कि0ग्रा0 गेहूँ का इन्द्राज न होना व धोखे से अंगूठा लगवाकर झूठा वितरण दर्शित किया गया है। डीलर द्वारा कोई अभिकथन या साक्ष्य व कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है। डीलर द्वारा वक्त जांच आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक संबंधी रिकार्ड भी उपलब्ध न कराना आदि अपने कृत्य को छिपाने का प्रयास करना डीलर की कालाबाजारी की मंशा को दर्शाता है। अतः डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य

आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 5, 8, 9, 11, 15 व 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो0 पैरोकार रसद के कथनों पर मनन किया। अपीलाण्ट या उसके अभिभाषक का उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है कि उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उन्हें कुछ भी नहीं कहना है। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 5, 8, 9, 11, 15 व 17सी का उल्लंघन किया गया। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। जिसमें कोई भी त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलाण्ट काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी (प्रथम) भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 19.11.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. जोगाराम)
जिला कलक्टर
भरतपुर